भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †77

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहाण, 1946 (शक) को दिया गया

लॉकर से चोरी की घटनाएं

†77 श्री अरुण कुमार सागर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों से अब तक विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में डकैती, लॉकरों से धन एवं आभूषणों की चोरी की घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का वर्ष-वार/बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक मामले की जांच की गई है;

(घ) क्या उक्त मामलों में बैंक कर्मचारियों/अधिकारीयों की मिलीभगत पाई गई है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में पीएसबी की शाखाओं में लॉकरों से डकैती और चोरी के मामलों की संख्या वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021-22 के दौरान रिपोर्ट किए गए छह मामलों से घटकर वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2022-23 के दौरान चार मामले और वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2023-24 के दौरान एक मामला दर्ज किया गया।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यह भी सूचित किया है कि पूर्वोक्त सभी मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी और मामलों की जांच की गई थी। इस अवधि के दौरान एक मामले में बैंक कर्मचारी की मिलीभगत पाई गई थी और स्टाफ जवाबदेही संबंधी वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्रवाई की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 18.8.2021 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों को यह सलाह दी है कि वे बैंकों की लापरवाही के कारण लॉकरों की सामग्री को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करें।

*****